न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 05/2015 अपील

काशिया उर्फ पुष्पा पुत्री भगवानलाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटडी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

1. उदयलाल पिता भगवानलाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. बसन्तीलाल पिता भगवानलाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. दुर्गा पुत्री भगवानलाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. काली बाई पत्नी भगवानलाल भील, आयु वयस्क, निवासी भट्ट कोटड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. ग्राम पंचायत बडोली माधोसिंह सरपंच कार्यालय, ग्राम पंचायत बडोली माधोसिंह, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तैडगढ़।

– रेस्पोण्डेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील

नामान्तरकरण दिनांक 05.06.2008 ग्राम पंचायत बडोली माधोसिंह

श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलाण्ट, उपस्थित

निर्णय **दिनांक 17.02.2020**

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भट्ट कोटडी की आराजी नं. 139 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा तथा आराजी नं. 140 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है जिसका नया खाता संख्या 151 व 153 है। यह आराजीयात विरासत से रेस्पोण्डेंट संख्या 1, 2 व 4 के नाम रेस्पोण्डेंट संख्या 5 ने निर्णित किया। अपीलाण्ट मृतक भगवानलाल की पुत्री है और यह सम्पत्ति पुश्तैनी है। ग्राम पंचायत को भली भांति जानकारी थी की भगवाना के फौत होने के बाद उनकी दो पुत्रियां हैं अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेंट संख्या 3 जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को शुरू से ही थी फिर भी ना ही अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का अवसर दिया और ना ही इसकी कोई जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया जबकि उक्त सम्पत्ति में अपीलाण्ट का 1/5 हक हिस्सा जन्म से निहित है। अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेंट एक ही परिवार के सदस्य होकर भगवाना के वैध वारिस हैं जिनका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

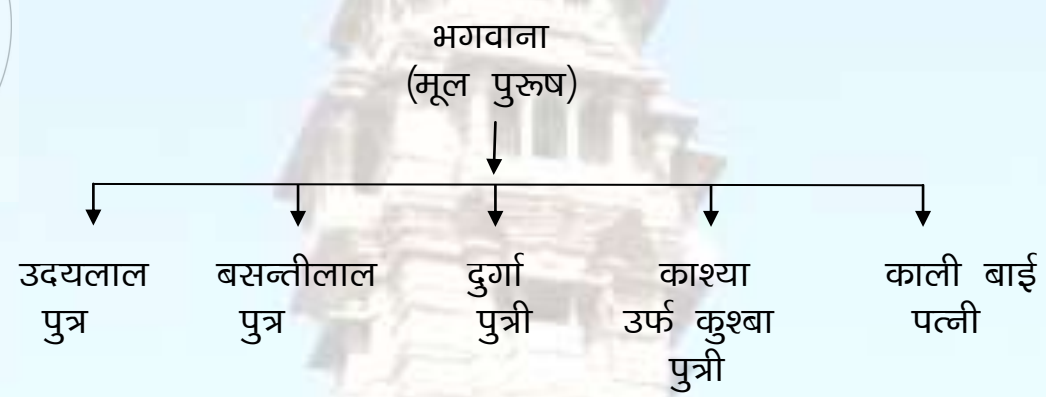

उक्त सजरे अनुसार सभी पुत्र, पुत्रियों एवं पत्नी का समान रूप से विवादित भूमि में 1/5, 1/5 हक हिस्से के हकदार हैं। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने गलत तरीके से नामान्तरकरण निर्णित कर दिया जो खारीज योग्य है। पूर्व में अपीलाण्ट को इस निर्णय की जानकारी नहीं थी। हाल ही में जानकारी हुई तो नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा ग्राम पंचायत बडोली माधोसिंह का दिनांक 05.06.2008 का विरासत का नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एक तरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट ने अपील के साथ अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बडोली माधोसिंह का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 853 दिनांक 05.06.2008 की प्रमाणित प्रति और मिलान क्षेत्रफल ग्राम भट्ट कोटडी की प्रति प्रस्तुत की है। नामान्तरकरण संख्या 853 मगना की विरासत का इन्तकाल होकर मगना के पुत्र भगवाना के वारिसान के नाम दर्ज हुआ है जिसमें स्पष्ट नोट है कि प्रकरण अनुसूचित जनजाति का होने के कारण पुत्रियों का नाम विरासत में दर्ज नहीं किया जा रहा है। अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है जो हस्ताक्षर करना भी नहीं जानती है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सही समय पर जानकारी नहीं होना तथा कानूनी बारिकीयों की जानकारी नहीं होना स्वीकार योग्य कथन है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण में अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों की विरासत पुत्रियों के नाम दर्ज किये जाने का प्रश्न है, उक्त सम्बन्ध में

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा कई प्रकरणों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों को भी विरासत में पुत्र के बराबर का हक प्रदान किया है जो वर्तमान में भी प्रचलित है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट पुत्री का भगवाना की विरासत में हक हिस्से की मांग करना न्यायिक रूप से विधि सम्मत माना जा सकता है। रेस्पोण्डेंट द्वारा बावजूद सूचना तामिल के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण मगना जी का होकर मगना की मृत्यु से पूर्व भगवाना की मृत्यु हो जाने से सीधे भगवाना के वारिसान के नाम दर्ज किया गया है। इससे प्रश्नगत आराजीयात पुश्तैनी होना तो प्रकट होता ही है। ऐसी स्थिति में पिता के नाम दर्ज होने वाली भूमि में पुत्रियों का हक अधिकार स्वाभाविक रूप से पुत्रों के बराबर बनता है। अपीलाण्ट यदि भगवाना की पुत्री हैं तो विधिक रूप से विरासत में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बडोली माधोसिंह का नामान्तरकरण संख्या 853 दिनांक 05.06.2008 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार निम्बाहेड़ा को रिमाण्ड की जाकर आदेश दिये जाते हैं कि उभय पक्षों को सुनकर समुचित जांच करते हुए मृतक भगवाना के वारिसान के नाम विरासत दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 17.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 14:41:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: